कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बून्दी

स्थान : प्लॉट नं. 02, शिवम कॉलोनी, खेल संकुल के पीछे, बूंदी , दूरभाष/फैक्स 0747-2940061
E-Mail : dlsa9bundi@gmail.com

क्रमांक : 134 दिनांक : 08/01/2024

–: आदेश :–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/क.न्या.स. एवं लिपिक ग्रेड–II/2022/2248 दिनांक 05.08.2022, माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक PS/09 दिनांक 02.01.2024 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम), व इस संबंध में राज्य सरकार, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा माननीय रालसा जयपुर द्वारा परिपत्रों के अधीन निम्न तालिका में अंकित अभ्यार्थियों को दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 मेंकनिष्ठ सहायक के पद पर अस्थायी तौर परकार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छःमाह/ दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी. (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 14,600/– रूपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जानी है:–

Sr No.	Merit No.	Roll No.	Name of Candidate & Address	DOB	Gender	Ocateg	Scateg
1	587	174187	Jayesh Sinha S/O Dinesh Kumar Sinha R/O 386 B Pawanpuri Benar Road, Jhotwara, Jaipur - 302012	17-09-1990	Male	EWS	GEN
2	588	174199	Amit Harshwal S/O Jagdish Harshwal R/O P. No. 108, Vikash Nagar Murlipura Scheme, Jaipur - 302039	21-12-1995	Male	OBC-NCL	GEN
3	595	164762	Suraj Bhan Singh S/O Daulat Singh R/O Holi Chauk Gram Bhatton Ki Gali Via Jalsu, Post Jahota, Teh. Amer, Jaipur - 303701	01-07-1995	Male	OBC-NCL	GEN
4	609	168332	Vijay Gour S/O Ramnarayan Gour R/O Plot No. 11 Kalyan Nagar Colony, Malpura, Tonk- 304502	05-05-1998	Male	GENERAL	GEN
5	817	170596	Sapna Jajoriya D/O Prahlad Jajoriya R/O 513 Ekta Nagar Dhawas, Ajmer Road, Jaipur - 302021	15-03-1998	Female	SC	GEN
6	1493	174422	Hanuman Prasad Saini S/O Gopal Lal R/O Vill. Maliyo Ki Dhani, Jhilay Post, Jhilay, Teh. Newai, Dist. Tonk - 304025	11-04-1991	Male	OBC-NCL	OBC
7	1538	164703	Vikram Singh S/O Narendra Singh R/O Bad Bagichi GudhaKatla Road, Bandikui, Dist. Dausa-303313	01-12-1994	Male	MBC-NCL	OBC
8	1750	163072	Avinash Sharma S/O Ashok Kumar R/O Vill. Nagla Parshuram Post Ikran Tehsil Dist. Bharatpur-321001	21-12-1992	Male	EWS	EWS
9	2254	170824	Manish Verma S/O Nem Chand R/O VPO Thikariya Teh. Sanganer, Jaipur- 302026	27-12-1999	Male	SC	SC
10	2256	161617	Aditya Badetia S/O Dinesh Kumar Badetia R/O 31, Ramnagar Colony, Mansinghpura, Tonk Road Jaipur-302018	12-08-1997	Male	SC	SC
11	2431	174551	Trilok Meena S/O Ram Kishan Meena R/O Vill. Bansla Post Payga Teh Uniyara, Dist. Tonk-304023	13-02-1993	Male	ST	ST

08.1.24

नोटः— क्रम सं. 09 पर अंकित अभ्यर्थी मनीष वर्मा द्वारा साक्ष्यांकन पत्र के बिंदु सं. 11 में दिनांक 18.07.2022 से 27.07.2022 तक पटवार के पद पर कार्यरत होना और निजी कारणों से सेवा छोड़ना अंकित किया है जिसके संबंध में अभ्यर्थी द्वारा कोई भी त्याग पत्र अथवा अन्य दस्तावेज प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उक्त अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय सुसंगत दस्तावेज के साथ कार्यालय में उपस्थित रहें एवं उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति सुसंगत दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के अध्यधीन रहेगी।

1. सभी नियुक्तियां कनिष्ठ न्यायिक सहायक/ कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड–द्वितीय की संयुक्त परीक्षा, 2022 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचारीधीन रिट याचिकाओ एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेगी।
2. सभी नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन special leave to Appeal(c) NO(s).27348/2023 Rajasthan High court & Anr. Vs.Rajat yadav & Ors. के अध्यधीन रहेंगी।
3. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नही होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
4. प्रथम छःमाह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे–मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
5. नियुक्ति पत्र के साथ पुलिस सत्यापन हेतु आवश्यक प्रारूप प्रेषित किये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी अपने से संबंधित सूचनाएं भरकर/यथास्थान नवीन फोटो चस्पा कर उपस्थिति के समय दो प्रति में कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें। अभ्यर्थी को यह नियुक्ति Subject to Police Verficationएवं अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सहीं नहीं पाये जाने या अभ्यर्थीगण के पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर या अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेगीं।
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/ माननीय उच्च न्यायालय के नियम/माननीय रालसा के परिपत्र लागू होंगे।
7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/माननीय रालसा के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
8. इस आदेश की प्राप्ति के 7 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नही हैं एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

08.1.24

9. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय रालसा द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एंव आचरण नियम लागू होंगे।

10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 कि नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. उपस्थिति के समय आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त सत्यापित दस्तावेज यथा जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता से संबंधित अंक तालिका/प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आदि के मूल दस्तावेज मिलान हेतु तथा उक्त सभी दस्तावेजों की एक सत्यापित प्रति कार्यालय उपयोग हेतु आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

12. अभ्यर्थी को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान होने का घोषण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. उपरोक्त उम्मीदवारों को पदस्थापन स्थान जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण बूंदी, व तालुका विधिक सेवा समिति नैनवां, लाखेरी, इन्द्रगढ़, के.पाटन, तालेड़ा व हिण्डोली हेतु आदेश पृथक से दस्तावेज सत्यापन के पश्चात् जारी किया जावेगा।

08.1.2024

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
बूंदी

क्रमांक 42-56 दिनांक 08/01/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
3. जिला कोषाधिकारी, बूंदी।
4. संबंधित नवनियुक्त कर्मचारीगण......................(जरिये रजिस्टर्ड डाक/वाट्सएप/ईमेल)
5. सिस्टम ऑफिसर को लेख है कि उक्त आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।

08.1.2024

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
बूंदी